



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड जयपुर-15)

क्रमांक:— एफ-6 () आ.राज.(सा.प्र.) / ननिज / 12/82

दिनांक :— 13/07/12

माह अगस्त 2012 में नीलामी की सूचना

नगर निगम जयपुर द्वारा बहुमंजिला आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डो की 99 वर्ष की लीज पर निम्नानुसार नीलामी की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अमानता राशि का डीडी या बैंकर्स चैक (प्रति भूखण्ड) "नगर निगम जयपुर" के नाम से जमा करा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं। (नगद राशि स्वीकार्य नहीं होगी)

कार्यक्रम

नीलामी स्थल

आयुक्त राजस्व कक्ष के बाहर (ऑक्शन हाउस)
नगर निगम जयपुर, मुख्यालय भवन।

नीलामी कार्यवाही

प्रातः 11.30 बजे से प्रारम्भ

क्र. सं.	योजना/स्थान	भूखण्ड	साईज मीटर (लगभग)	वर्ग मी.	नीलाम तिथी	अमानता राशि रूपये (प्रति भूखण्ड) का डी. डी. या बैंकर्स चैक
1	आर.पी.ए रोड शास्त्री नगर, पानीपेच से जनउपयोगी भवन के मध्य जयपुर।	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या ऐ- 19, ऐ-20, ऐ-21	प्रत्येक 14 वर्ग मी.	06.08.2012	1,00,000/-	
2	अम्बाबाड़ी शॉपिंग सेन्टर, हनुमान मंदिर के पास, जयपुर	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या बी-64, बी-65, बी-73, बी-74	प्रत्येक 14 वर्ग मी.	07.08.2012	1,00,000/-	
3	आर.पी.ए. रोड, शास्त्री नगर, कृष्ण कृष्ण अपार्टमेन्ट एवं पेट्रोल पम्प के पास, जयपुर।	बहुमंजिला आवासीय भू.सं. GH-1 ऐ.ए.आर -1.33 to 2.25 ऊँचाई - सड़क का डेढ गुना (27.00 मी.) आच्छादन - सैटबैक क्षेत्र के अन्दर सैटबैक - फॉन्ट 12 मीटर, तीन तरफ 6-6 मीटर	1691.48 वर्ग मी.	08.08.2012	8,00,000/-	
	आर.पी.ए. रोड, शास्त्री नगर, कृष्ण कृष्ण अपार्टमेन्ट एवं पेट्रोल पम्प के पास, जयपुर।	बहुमंजिला आवासीय भू.सं. GH-2 ऐ.ए.आर -1.33 to 2.25 ऊँचाई - सड़क का डेढ गुना (27.00 मी.) आच्छादन - सैटबैक क्षेत्र के अन्दर सैटबैक - फॉन्ट 12 मीटर, तीन तरफ 6-6 मीटर	1510.80 वर्ग मी.	08.08.2012	7,00,000/-	

नोट :- बहुमंजिला आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड जहां है, जैसा है के आधार पर नीलाम किये जायेंगे। भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर उपलब्धता के अनुसार घट-बढ़ सकता है। नीलामी समाप्ति पर उच्चतम बोलीदाता को कुल नीलाम राशि की 25 प्रतिशत (1/4) राशि मौके पर ही नगद या डी.डी. या बैंकर्स चैक या चैक से जमा करवानी होगी। शेष 75 प्रतिशत (3/4) नीलाम राशि, नीलामी बोली स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। नीलामी बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार महापौर नगर निगम जयपुर में निहित है। दो से अधिक व्यक्तियों के नाम भूखण्ड/संपत्ति लिये जाने पर पार्टनरशीप डीड दिया जाना आवश्यक होगा, फर्म या

अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने पर पावर ऑफ अटोर्नी एवं पहचान पत्र देना होगा। शेष शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय समय में, कार्य दिवस को आयुक्त (राजस्व) / राजस्व अधिकारी (भूमि नीलामी) से प्राप्त की जा सकती है।


आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि:-

1 जनसंपर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार नीलामी सूचना राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख संस्करण के आगामी अंक दिनांक 14.07.2012 में प्रकाशित करवा कर समाचार पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का कष्ट करें।

✓ 2 वेब साईट पर डालने बाबत् प्रोग्रामर, ई-गवर्नेंस, नगर निगम जयपुर


आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर